छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–06 / 2024 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 13/06 / 2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़ अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता,प्राधिकृत अधिकारी, सिनियर मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 0.536 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध–ए / 115–918 / 1046, दिनांक 25.04.2024।

––––00––––

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1.प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 14 के चेक लिस्ट क्र. 3 में आरक्षित वन भूमि रकबा 0.414 हे. तथा संरक्षित वन भूमि रकबा 0.305 हे. लेख है वहीं प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 14 में प्रदायित कॉलम एवं अन्यत्र वन क्षेत्र के विवरण में आरक्षित वन भूमि 0.346 हे. तथा संरक्षित वन भूमि 0.190 हे. लेख किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

2.प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 36 में मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित भाग–3 में व्यपतर्वन हेतु मांग की गई वनक्षेत्र 0.719 हे. प्रस्तावित किया गया है किंतु प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 37 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रदायित भाग–4 में 0.536 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।

3.प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 38 में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र–3) के बिंदु क्रमांक 10 में वनमंडलाधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि, प्रस्तावित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं है किंतु आवेदित क्षेत्र भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के **10 वर्ग कि.मी** के अंतर्गत आता है वहीं प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 47 के चेक लिस्ट क्र. 17 में लेख है कि, प्रस्तावित वनक्षेत्र वन्यप्राणी अभ्यारण्य नहीं है तथा राष्ट्रीय उद्यान या हाथी कॉरीडोर से **10 कि.मी.** अंतर्गत कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी या हाथी कॉरिडोर प्रस्तावित नही है एवं अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति नहीं है। यह विरोधाभासी प्रतीत होता है।

कृपया उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट करें तथा आवश्यकतानुसार चेक लिस्ट क्र. 17 पर दी गई जानकारी / प्रमाण पत्र को संशोधित रुप में भेजा जावे।

3/– अतः निर्देशानुसार अनुरोध कि, कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर वांछित जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13/06/24

(के.एल.मांझी)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 2

D/FCA/ Latter-N/Lalit

पृष्ठां.क्रमांक एफ 5–06 / 2024 / 10–2 नवा रायपुर, दिनांक 13 / 06 / 2024

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

2.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल, छत्तीसगढ़।

4.आवेदनकर्ता, Telesonic Networks Limited, 3Rd & 4 th Floor, Scheme No. 54 A.B. Road metro Towers Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13/06/24

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग